

3. ग्राम पंचायत

यह पाठ ग्राम पंचायत के बारे में है। उपशीर्षकों को पढ़कर और चित्र देखकर अंदाज़ लगाओ कि इस पाठ में किन बातों के बारे में लिखा है?
तुम्हारे गांव में ग्राम-पंचायत के चुनाव कब हुए? चुनाव के बाद ग्राम पंचायत ने क्या काम किए? आपस में चर्चा करो।



सब के लिए सुविधाओं की व्यवस्था

एक गांव है कनियाखेड़ी। गांव में कुल दस मोहल्ले हैं। एक मोहल्ले के घरों का सारा गंदा पानी सड़क पर बहकर जमा हो जाता है। सड़क पर कोई नाली नहीं है। इसीलिए वहां हमेशा ही कीचड़ बनी रहती है।

एक दूसरे मोहल्ले का कुआं दो साल से सूखा पड़ा है। दूसरा कुआं बहुत दूर है। इतनी दूर से पानी

लाना मुश्किल तो है मगर वो भी क्या करें? पानी तो सबको पीना है। तुम पूछ सकते हो कि वे अपना कुआं क्यों नहीं ठीक करते? लेकिन मोहल्ले का कुआं किसी एक व्यक्ति का नहीं है। मोहल्ले भर के लोग इसका उपयोग करते हैं।

सड़क हो या कुआं, पुल हो या रपटा, ये सब किसी एक आदमी या परिवार के अपने तो होते नहीं। गांवों या शहरों में ऐसी बहुत सी चीजें होती

हैं जो सबके काम आती हैं। सारे लोग इनका उपयोग करते हैं। ऐसी सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधा कहते हैं।

लेकिन जब ये सुविधाएं खराब हो जाएं तो इन्हें सुधरवाए कौन? इनकी देखभाल कौन करे? मान लो कोई एक आदमी या परिवार इन चीजों पर कब्जा कर ले तो समस्या कौन सुलझाए? इन सब चीजों की सुरक्षा और देखभाल का इंतजाम तो करना होगा। जब सब उपयोग करते हैं तो प्रबंध (इंतजाम) भी तो सबको मिलकर ही करना होगा।

इस तरह की स्थानीय सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाने और सुविधाओं का प्रबंध करने का एक तरीका बनाया गया है। गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिये ग्राम पंचायत बनाई जाती है। शहरों में यही काम नगरपालिका या नगरनिगम द्वारा किया जाता है।

गुरुजी से चर्चा करो कि 'सार्वजनिक' का क्या अर्थ है।

तुम्हारे गांव में कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं हैं?

इस पाठ में हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के बारे में जानने के लिये आओ अब कनियाखेड़ी चलें।

एक कहानी

ग्राम पंचायत कैसे बनती है

एक दिन की बात है। गर्मी का महीना था। तपती दोपहरी में किसी ने धन्ना के घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी बेटी लखिया ने दरवाजा खोला।

दरवाजा खटखटाने वाला गांव का पटवारी

था। वह मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में नाम लिखने आया था। पटवारी ने बताया कि दो-तीन महीनों में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। वह घर के सब लोगों के बारे में पूछने लगा।

मतदाता सूची

लखिया ने ग्राम पंचायत के बारे में सुन रखा था। वह पंचायत के बारे में और जानना चाहती थी। पर इससे पहले कि वह अपने सवालियों की झड़ी शुरू करती, पटवारी ने उससे पूछा, “हां तो अपने घर के सदस्यों के नाम और उम्र बताओ।”

“पर आप उनके नाम और उम्र क्यों लिखना चाहते हैं?” लखिया ने पूछा।

“मैंने बताया न, ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इस लिये इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखने हैं। इन नामों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं।” पटवारी ने जवाब दिया।

“सबसे पहले मेरा नाम ही लिख लीजिए न, मैं भी वोट दूंगी।” लखिया बोली।

“नहीं लखिया”, पटवारी ने कहा। “अभी तुम वोट नहीं दे सकतीं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लोग ही वोट दे सकते हैं। तुम अपने घर के ऐसे लोगों के नाम बताओ जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।”

लखिया थोड़ा उदास हो गई थी। फिर भी वह बताने लगी, “बापू का नाम और उम्र तो आप जानते ही हो। मेरी मां का



नाम सूखीबाई है। उमर करीब चालीस साल होगी।" लखिया ने बताया।

"फिर मेरी बड़ी बहन है फत्तो। उसकी शादी हो गई है। सैलनपुर में ससुराल है उसकी।"

पटवारी लखिया की बात काटते हुए बोला, "नहीं फत्तो का नाम तो सैलनपुर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में आएगा। इस गांव की सूची में सिर्फ इसी ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के नाम ही लिखने हैं।"

"फिर मेरी भाभी तिजिया तो दूसरे गांव से आई है उसका क्या होगा?" लखिया बोली।

पटवारी ने कहा, "तुम्हारी भाभी अब इस गांव में वोट डाल सकती है। अच्छा, और कौन-कौन रहता है तुम्हारे घर पर?"

"मेरा बड़ा भाई, भैयालाल। वह मेरे से 8 साल बड़ा है। एक मेरा भतीजा है, पर

वो अभी छोटा है। उसके अलावा मेरी दादी है, नाम है चुनीबाई।

पर वो तो बहुत बूढ़ी है। वो कहां वोट डालेंगी।" लखिया बोली।

"हां क्यों नहीं,

लखिया, 18 से अधिक उम्र के सभी लोग वोट डाल सकते हैं।"

ग्राम-पंचायत का इलाका

नाम बताते बताते लखिया के मन में ग्राम पंचायत के बारे में कई सवाल आ रहे थे। इस से पहले कि पटवारी जाने को खड़ा होता, लखिया ने उससे पूछा, "क्या हर गांव में एक

ग्राम पंचायत होती है?"

"कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है।" पटवारी ने उत्तर दिया।

लखिया बोल पड़ी, "इतने लोग तो बड़े गांवों में ही रहते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ बड़े गांवों में ग्राम पंचायत होती है? फिर 300-400 लोगों के छोटे गांवों का क्या होगा?"

पटवारी ने समझाया, "छोटे गांवों को आमतौर पर बड़े गांवों के साथ मिला दिया जाता है। यानी एक ग्राम पंचायत तीन-चार गांवों के लिए काम करती है। जैसे-कनियाखेड़ी ग्राम पंचायत में तीन और गांव हैं - पगांवा, नूनपुर और मानीगांवा।"

पंच और सरपंच

"पटवारी जी, ग्राम-पंचायत के सदस्यों को पंच कहते हैं न," लखिया ने कहा।

"हां, ठीक कहा तुमने। एक ग्राम पंचायत में 10 से 20 तक पंच होते हैं।" पटवारी ने कहा।

लखिया ने फिर पूछा, "पटवारी जी, इन पंचों का काम क्या होता है?"

पटवारी: "ये पंच मिलकर ग्राम पंचायत के गांवों में सफाई, पानी, सड़क जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की देखरेख करते हैं। यदि किसी गांव या मोहल्ले में इन सुविधाओं की कमी या गड़बड़ी हो तो वहां के पंच इसके बारे में ग्राम पंचायत को बताता है। फिर पंचायत इन सुविधाओं को सुधारने की कोशिश करती है।"

लखिया: "अगर सभी पंच एक ही मोहल्ले

या एक ही गांव के हो जाएं, तो दूसरे मोहल्लों के बारे में कौन ध्यान देगा?"

पटवारी: "ऐसा न हो, इसीलिए तो हर ग्राम पंचायत क्षेत्र को छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है। इन्हें पंचायत वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से लोग अपना-अपना पंच चुनते हैं। जो भी पंच बनना चाहता है, वह ग्राम-पंचायत के चुनाव में अपने वार्ड से खड़ा हो सकता है। वार्ड के लोग अपना



मत देते हैं। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिलें वही पंच बनता है।"

लखिया: "अगर एक बार कोई पंच चुन लिया गया तो फिर क्या हमेशा वही पंच बना रहेगा?"

पटवारी: "नहीं, हर पांच साल बाद पंचायत के चुनाव होते हैं, और नए पंच चुने जाते हैं।"

पटवारी ने अपने घड़ी देखते हुए कहा, "अरे, बहुत देर हो गई है। मुझे आज पगांवा की सूची भी पूरी करनी है।" यह कहते हुए पटवारी चला गया।

इन वाक्यों में से गलत वाक्यों को सुधारकर लिखो:

हर गांव पर एक पंचायत होती है।

हर साल नई ग्राम पंचायत चुनी जाती है।

हर वार्ड से एक पंच होता है।

यदि किसी क्षेत्र में 250 गांव हैं तो वहां 250 ग्राम पंचायतें ही होंगी।

मतदाता सूची क्या होती है?

पटवारी ने फत्तो का नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं लिखा?

लखिया वोट क्यों नहीं डाल सकती?

सरपंच व उपसरपंच

हर ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है। सरपंच को चुनने के लिए वे सभी लोग अपना मत (वोट) दे सकते हैं, जिनका नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है। सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है और पंचायत के कामों की देखरेख करता है।

हर ग्राम पंचायत का एक उपसरपंच भी होता है। उपसरपंच पंचों में से ही, पंचों द्वारा चुना जाता है। सरपंच के उपस्थित न रहने पर उपसरपंच उसका काम सम्भालता है।

पंचायतों में आरक्षण

सरपंच के कुछ पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए रखे गए हैं, यानी उनके लिए आरक्षित हैं। पिछड़े वर्ग के लिए भी सरपंच व पंच के कुछ पद आरक्षित होते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। कुल ग्राम पंचायतों के एक तिहाई सरपंच पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में एक तिहाई महिला पंचों का होना ज़रूरी है।

इस तरह चार प्रकार के लोगों को किसी न किसी रूप में आरक्षण दिया जाता है। वे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और महिलाएं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों और महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों ज़रूरी है - गुरुजी के साथ चर्चा करो।

सचिव

ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। वह चुना

नहीं जाता है बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव पंचायत का हिसाब किताब रखता है और पंचायत की बैठक का विवरण लिखता है।

गुरुजी की मदद से पता करो-

तुम्हारे गांव की जनसंख्या कितनी है?

तुम्हारी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं?

तुम्हारी ग्राम पंचायत में कितने गांव हैं?

तुम्हारा घर किस वार्ड में आता है और इसका पंच कौन है?

कनियाखेड़ी की पंचायत

कनियाखेड़ी में कई मोहल्ले हैं - घासीटोला, चिनखीटोला, नोंद मोहल्ला, गांधीवार्ड आदि। इसके अलावा, कनियाखेड़ी पंचायत में तीन और गांव भी हैं। इन सब क्षेत्रों से अलग-अलग पंच चुने जाते हैं। लखिया की भाभी तिजिया घासीटोला की पंच चुनी गई है। पंचों ने उसे उपसरपंच चुना है।

10 दिसंबर को साढ़े दस बजे ग्राम पंचायत की बैठक है। बैठक की सूचना कोटवार द्वारा तिजिया बाई को मिल चुकी है।

ग्राम-पंचायत की बैठक

जब तिजिया पंचायत भवन पहुंची, तब साढ़े दस बज चुके थे। सरपंच खैरातीसिंह और सचिव हरिमोहन यादव के अलावा सात और पंच आ चुके थे। “आओ-आओ तिजिया बाई। अच्छा

हुआ तुम आ गईं। अब हम बैठक शुरू कर सकते हैं” सरपंच खैरातीसिंह ने कहा। कनियाखेड़ी की पंचायत में 17 सदस्य थे। 16 पंच और एक सरपंच। आधे सदस्यों से अधिक के उपस्थित होने पर ही बैठक शुरू हो सकती थी। आधे से कम सदस्य आए तो बैठक निरस्त करनी पड़ती है।

ग्राम-पंचायत के कामों की चर्चा

बैठक शुरू हुई। सबने उपस्थिति बही पर हस्ताक्षर किए।

सबसे पहले सचिव हरिमोहन ने पिछली बैठक का विवरण पढ़ कर सुनाया। सभी पंच विवरण से सहमत थे। सरपंच खैराती सिंह ने विवरण पर हस्ताक्षर किए।

फिर पहले पिछले महीने किए गए कामों के बारे में बात होने लगी। सरपंच खैराती सिंह ने सचिव हरिमोहन से पूछा, “क्या-क्या काम हुए हैं पिछले महीने?”

“चिनखीटोला के रपटे का काम शुरू हो गया है। नोंद मोहल्ले के कुएं की सफाई हुई है। फिर पंचायत भवन के कुछ कवेलू बदलवाए हैं। कुल मिलाकर पिछले महीने करीब तीन हजार रुपये खर्च हुए हैं” हरिमोहन ने बताया।

रहमत अली चिनखीटोला का पंच था। उससे रपटे के काम के बारे में बात हुई। कितना काम हुआ है? कितना बाकी है?

खैरातीसिंह ने पूछा, “अच्छा इस महीने और क्या-क्या करना है? आज पहले तिजिया बाई से पूछें - उनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं।”

“हमारे वार्ड की समस्या कौन नहीं जानता! घासीटोले का कुआं दो साल से सूखा पड़ा है। हम औरतों को गांव के दूसरे छोर पर चिनखीटोला से रोज़ पानी लाना पड़ता है। हमारे मोहल्ले का कुआं गहरा करवा दिया जाए या हैंडपम्प लगवा दिया जाए तो हमारी यह परेशानी दूर हो जाएगी” तिजिया बोली।

इतने में पगांवां का एक पंच बोल पड़ा, “सब काम कनियाखेड़ी में ही हो जाते हैं। हमारा छोटा सा गांव भी तो इसी पंचायत में आता है। हमारे यहां नाली और कुएं की सफाई सालों से नहीं हुई है। तालाब में पानी नहीं भरता। पहले हमारे गांव के कुएं की सफाई कराइए। तालाब को गहरा करवाइए। इसमें ज्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।”



पर बहा देता है। अपने घर का कचरा भी वह सड़क पर फेंकता है। पंचायत ने तय किया कि गंदगी फैलाने के लिए रामप्रसाद से जुर्माना लिया जाएगा।

ग्राम-पंचायत की आमदनी पर चर्चा

अबसचिव हरिमोहन ने पंचों के सामने पिछले महीने तक का हिसाब-किताब रखा।

“इस बार संडास, बिजली और बाज़ार के टैक्स से बहुत कम पैसे प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों ने अभी तक मकान का टैक्स नहीं दिया है।” हरिमोहन ने कहा। “पिछले महीने ही चिनखीटोला के

रपटे के लिए जनपद पंचायत से कुछ पैसे आए हैं। इस तरह अप्रैल से नवंबर तक कुल करीब दस हजार रुपये जमा हुए।”

ग्राम-पंचायत सार्वजनिक कामों के लिए कई जगहों से पैसे इकट्ठा करती है। वह गांव के लोगों से सफाई, बिजली, संडास व निजी मकानों पर टैक्स लेती है।

ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले हर परिवार को ये टैक्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा ग्राम-पंचायत को जुर्माने से भी कुछ पैसे मिल जाते हैं।

ग्राम-पंचायत क्षेत्र में यदि कोई बड़ा काम होना है, (जैसे, कुआं, रपटा, नाली या शाला भवन

अतिक्रमण और जुर्माना

दो तीन और मामलों पर चर्चा हुई। नोंद मोहल्ले के एक आदमी ने सड़क के एक हिस्से पर ही अपना कमरा बना लिया था। पंचों ने तय किया कि यदि वह खुद अपना कमरा नहीं हटाता, तो पंचायत कमरा तुड़वा देगी।

फिर गांधी वार्ड के रामप्रसाद के मामले पर बात हुई। गांधी वार्ड के पंच लच्छू ने बताया कि रामप्रसाद अपने घर का गंदा पानी हमेशा सड़क



गांव में कुओं की मरम्मत और पानी का प्रबंध पंचायत का काम है

अपनी पंचायत के पास इतने पैसे भी नहीं हैं। ये समस्या तो बड़ी टेढ़ी है।” सरपंच बोला।

इतने में एक पंच बोल पड़ा, “इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के लिए सरकार की योजनाएं हैं। जनपद पंचायत

बनवाना) तो इसके लिए टैक्स और जुर्माने की आमदनी काफी नहीं होती। इन कामों के लिए ग्राम-पंचायत कुछ पैसे जनपद पंचायत से मांग सकती है, और लोगों से चंदा भी कर सकती है। सरकार जनपद पंचायतों को ऐसे कामों के लिए पैसे देती है।

ग्राम-पंचायत के कामों के लिए पैसे

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत की बैठक में कई कामों के बारे में बात हो चुकी थी। अब तय यह करना था कि इन कामों के लिए पैसे कहां से जुटेंगे।

“घासीटोला का कुआं गहरा करवाने या हैंडपम्प लगवाने में तो बहुत खर्चा आ जाएगा।

को इन कामों के लिए पैसे मिल सकते हैं। हम जनपद को अर्जी दे देते हैं। हमें अपने क्षेत्र के जनपद सदस्य से बात करनी चाहिए - वे जनपद पंचायत की अगली बैठक में इसके बारे में हमारी मांग रख सकते हैं।”

तिजिया ने कहा, “जनपद को कब अर्जी देंगे और कब पैसे आएंगे। इसमें एक और साल बीत जाएगा। आप तो किसी तरह इन्हीं पैसों से काम चला लीजिए। कुछ पैसों का हम चंदा कर लेंगे।”

काफी देर तक इस बात पर बहस होती रही कि अभी ग्राम-पंचायत के पास जमा पैसों का क्या किया जाए।

अंत में तय हुआ कि घासीटोला के हैंडपंप के लिए जनपद पंचायत से पैसे मांगे जाएं।

सचिव हरिमोहन एक हैंडपंप के खर्चे का हिसाब बनाकर जनपद के लिए अर्जी बनाएगा। ग्राम पंचायत में जमा पैसों से पगावां की सड़क ठीक करवाने का तय हुआ।

बैठक की रपट

सब बातचीत खत्म होते-होते चार बज गए थे। पंचायत के सचिव हरिमोहन ने बैठक में हुई पूरी चर्चा के बिन्दु लिखे थे। ग्राम पंचायत की हर बैठक का विवरण लिखा जाता है। यह विवरण सचिव लिखता है।

ग्राम पंचायत बैठक के नियम

पंच आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, “पिछली पंचायत में तो कभी-कभार ही बैठक होती थी। ये खैरातीसिंह हमेशा समय पर बैठक बुलाता है। अभी तक एक भी महीना नहीं चूका।”

एक और पंच ने कहा, “चूके कैसे? नए नियम और भी कड़े हो गए हैं। अब तो हर महीने ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना ज़रूरी है। खैरातीसिंह यह जानता है कि अगर उसने लगातार तीन महीनों तक बैठक नहीं बुलवाई तो उसे हटाया भी जा सकता है।”

चिनखीटोला का पंच रहमत अली बोला, “बिरजन खेड़ी का सरपंच कभी बैठक नहीं बुलाता। बस सचिव को बाखर में



बुलवाकर कागज़ बना लेता है और सबके घर बही भेजकर हस्ताक्षर करवा लेता है। कोई कुछ नहीं कहता। सब सरपंच से घबराते हैं।”

गांधीवाड़ का पंच वोला, “ भई नियम कानून बनाना काफी नहीं है। अगर गांव के लोग और दूसरे पंच इन कानूनों को तोड़ने पर सरपंच से सवाल करें तभी सरपंच कानून तोड़ने से घबराएगा।” ये बातें करते करते सब पंच अपने अपने घर चले गए।



अभी तक तुमने जो पढ़ा, उसके आधार पर बताओ-

तिजिया कौन थी ?

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत में कितने सदस्य हैं?

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत में कौन-कौन से गांव आते हैं?

सही विकल्प चुनो -

तिजिया के पहुंचने तक ग्राम पंचायत बैठक शुरू नहीं हुई थी क्योंकि

1. वह महिला पंच थी और महिला पंच के बिना बैठक शुरू नहीं हो सकती।

2. उसके आने पर ही पंचायत के आधे से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।

3. वह उपसरपंच थी और उपसरपंच के बना बैठक शुरू नहीं हो सकती।

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत को कैसे कहां-कहां से मिले?

घासीटोला और नोंद मोहल्ले की क्या-क्या समस्याएं थीं? उनके बारे में कननियाखेड़ी की ग्राम

पंचायत ने क्या तय किया?

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत कितने दिनों में मिलती है?

जनपद पंचायत क्या है पता करो।

तुम्हारी ग्राम पंचायत कौन सी जनपद पंचायत में आती है ?

पिछले साल तुम्हारी ग्राम पंचायत ने क्या-क्या काम किए?

ग्राम-पंचायत के काम में मुश्किल

पैसे जुटाने में देरी

कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत की उस बैठक के बाद कई महीने बीत गए। हर महीने तिजिया बैठक में जाती। घासीटोला के हैंडपंप के पैसे के बारे में पूछताछ करती। उसे बताया गया कि मार्च में जब सरकार को अगले साल के कामों की योजना भेजेंगे तो उसी में हैंडपंप के लिए भी पैसे मांगेंगे। साल भर के पैसे के साथ ही सरकार से हैंडपंप का पैसा मिलेगा।

सितम्बर के महीने में कनियाखेड़ी ग्राम-पंचायत को जनपद पंचायत से सरकारी पैसे मिले। इनमें घासीटोला के हैंडपंप के पैसे भी थे। तिजिया ने अक्टूबर की बैठक में सरपंच से पैसे मांगे ताकि हैंडपंप का काम शुरू हो जाए। एक वार्ड के पंच रामदीन ने कहा, “तिजिया बाई तुम्हें ये सब काम करवाने में मुश्किल होगी। शहर से ठेकेदार लाना होगा। मैं शहर जाता रहता हूँ, मैं ये काम करवा दूंगा।” तिजिया रामदीन की बात मान गई।

दो-तीन महीने हो गए पर हैंडपंप का काम शुरू नहीं हुआ। जब भी तिजिया रामदीन से इस के बारे में पूछती, वह कुछ बहाना बना देता।



पैसे का गलत इस्तेमाल

एक दिन तिजिया पानी भरने जा रही थी तब उसने रामदीन के घर के सामने लम्बे-लम्बे पाइप पड़े देखे। उसने रामदीन के पास जाकर पूछा, “क्यों भैया जी ये पाइप काहे के लिए आए हैं?” रामदीन ने अकड़कर जवाब दिया, “तुम्हें इससे क्या? कोई अपना हैंडपंप खुदवा रहा होगा।”

तिजिया को कुछ गड़बड़ लगी। चिनखीटोला के कुएं पर घासीटोला की कई औरतें मिल गईं। तिजिया ने उन्हें बताया कि वह अभी-अभी रामदीन के घर के सामने लम्बे-लम्बे पाइप देखकर आई है। “जब मैंने रामदीन से पूछा तो उसने अटपटा जवाब दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है” तिजिया ने कहा। एक औरत बोली, “चलो अपन सब खैरातीसिंह के यहां चलकर उनसे बात करते हैं।” सब औरतें तिजिया के साथ खैरातीसिंह के यहां गईं और उसे पूरा किस्सा सुनाया।

सरपंच खैरातीसिंह ने उनके सामने ही रामदीन को बुलवाकर उसे चेतावनी दी, “अगर दो दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो पैसे लौटा देना। तिजिया ही हैंडपंप डलवा लेगी।”

दो दिन बाद घासीटोला में हैंडपंप का काम

शुरू हुआ। खुदाई करवाकर पाईप ज़मीन में उतारे गए। पर दो हफ्ते बाद फिर काम बंद हो गया।

घासीटोला में हैंडपंप लगाने में देरी क्यों हुई? दो कारण समझाओ।

तिजिया, रामदीन, और खैरातीसिंह द्वारा कहे गए एक-एक वाक्य लिखो।

ग्राम सभा

घासीटोला के हैंडपंप का काम रुकने के बाद दो-तीन महीने और गुज़र गए। मार्च में ग्राम सभा की वार्षिक बैठक हुई। तिजिया ने सोचा कि अब ग्राम सभा में ही पंप के बारे में पूछना पड़ेगा। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी गांवों (कनियाखेड़ी, पगांवा, नूनपुर, मानीगांव) के मतदाता

आए। हर गांव और वार्ड के लोगों ने पंचायत से अपनी समस्याओं के बारे में पूछा।

घासीटोला के लोगों ने अपना हैंडपंप पूरा न होने पर बहुत शोर किया। तिजिया बाई ने कहा कि इतनी मुश्किल से तो पंप के पैसे आए थे, पर उस पंप का पानी आज तक किसी को नसीब



नसीब नहीं हुआ। उसने यह भी कहा कि यदि पंद्रह दिन में पंप पूरा नहीं हुआ तो घासीटोला के लोग ज़िलाधीश के पास शिकायत करने जाएंगे। खैरातीसिंह ने आश्वासन दिया कि वह हैंडपंप का काम जल्दी पूरा कराएगा।

ग्राम सभा की बैठक के एक महीने बाद घासीटोला का हैंडपंप तैयार हो गया।

हर ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा होती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ग्राम सभा के सामने ग्राम पंचायत का लेखा-जोखा और आने वाले साल की अनुमानित आमदनी और खर्च का

ब्यौरा पेश होना चाहिए। ग्राम सभा के लोग ग्राम पंचायत के सदस्यों से सवाल पूछ सकते हैं।

कनियाखेड़ी ग्राम सभा के सदस्य कौन थे?

ग्राम सभा की बैठक कब-कब होनी चाहिए?

ग्राम सभा में घासीटोला के लोगों ने क्या किया?

.....

अभ्यास के प्रश्न

1. 'सार्वजनिक सुविधा' का क्या मतलब है? नीचे दी गई बातों में से कौन सी बातों को तुम 'सार्वजनिक सुविधाओं' में शामिल करोगे? शाला, साईकिल, पुस्तक, अस्पताल, पानी की व्यवस्था, कपड़े, बाजार।
2. ग्राम पंचायत किस तरह से बनती है? इसके बारे में चार मुख्य बातें लिखो। ये बातें तुम्हें किस उप-शीर्षक के नीचे मिलेंगी?
3. ग्राम पंचायत क्या करती है और कौन-कौन से कर वसूल करती है, इनके बारे में पांच-पांच वाक्य ढूंढकर लिखो।
4. यदि तुम्हारे मोहल्ले में नालियां नहीं हैं और गंदा पानी सड़कों पर बहता है, तो तुम क्या करोगे? अपने शब्दों में लिखो।
5. इस पाठ में कई जगह जनपद पंचायत का जिक्र हुआ है। पता करो जनपद पंचायत क्या है? यह कैसे बनती है? उसके सदस्य कौन हैं?
6. ग्राम पंचायत के सामने क्या-क्या समस्याएं आती हैं? उन्हें सुलझाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है?
7. गलत वाक्यों को सुधार कर लिखो :
 - (क) ग्राम पंचायत का सचिव गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है।
 - (ख) किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच का महिला होना ज़रूरी है।
 - (ग) पंचों के चुनाव में पंचायत क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है।
 - (घ) पटवारी नहीं चाहता था कि लखिया वोट डाले; इसलिए उसने उसका नाम नहीं लिखा।
 - (ङ) एक ग्राम पंचायत में कम से कम तीन गांव होते हैं।